संख्या- 01/2019/88/84-1-2019-30/2018

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नियंत्रक ,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक- 18 मार्च,2019

विषयः विधिक माप विज्ञान विभाग को विभिन्न मदों में आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 22/निविमावि-लेखा 7(25) मांग/2019 दिनांक 17 जनवरी,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग में लेखाशीर्षक-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 106-भार एवं माप का विनियमन-03 अधिष्ठान व्यय-01 वेतन,से हो रही बचतों से 02 मजदूरी,05-स्था0 यात्रा व्यय,09 विद्युत व्यय,16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान,17-किराया उपशुल्क एवं कर,-49-चिकित्सा व्यय हेतु बी0एम0-9 में संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय रू0 77,36,000/- (सतहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
2. बचत की धनराशि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है , उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।
5. विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या बी-1-335/10-2019 दिनांक 15 मार्च.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2019/88(1)/84-1-2019-30/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊं
5. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0, लखनऊं
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0,लखनऊ(द्वारा नियंत्रक विधिक माप विज्ञान)।
8. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7
9. खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in